A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

न्यायालय इजलास प्रकाशचन्द रेगर (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)

प्रकरण सं. 71/2016/प्रा. पत्र

दायरा तारीख - 29.4.16

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश जाति धाकड़ निवासी शोप तह. उनियारा
2. पप्पू लाल पुत्र जगदीश जाति धाकड़ — " —
3. आरीलाल पुत्र जगदीश — " — " — " —
4. उगरिका पत्नी जगदीश — " — " —
5. रामभजन पुत्र शंकर — " — " —
6. नारायण पुत्र शंकर — " — " —
7. बरधी लाल पुत्र शंकर — " — " —

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजबहादुर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी शोप तह. उनियारा
2. नरपत सिंह पुत्र मदन सिंह — " — " —
3. चन्दन सिंह पुत्र मदन सिंह — " — " —
4. पृथ्वीराज सिंह पुत्र मदन सिंह — " — " —
5. गजेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह — " — " —
6. राजूसिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह — " — " —
7. तहसीलदार उनियारा

(अप्रार्थीगण)

• प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित —

विद्वान अभिभाषक श्री बरकत उल्लाह खान - प्रार्थीगण

श्री बाबुलाल कासलीवाल - अप्रार्थीगण

Cont....

उपखण्ड अधिकारी

# निर्णय

दिनांक 12.3.20

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शोप की आराजी ख. नं. 1282 रकबा 0.33 हे. जो प्रार्थीगण की खातेदा एवं कब्जे काश्त में है। प्रार्थी सं. 1 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा 5 लगायत 6 का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थी सं. 7 का 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही पत्थरों की डाल लगी हुयी है और काफी पुराने वृक्ष लगे हुये है।

दिनांक 25.04.2016 को अप्रार्थीगण ने हमारी खातेदारी भूमि जबरन कब्जा कर निर्माण पर आमादा हो गये जिसका उन्हे को वैधानिक अधिकार नहीं है। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में होने से यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी और अपने हक से वंचित हो जायेगें।

अतः अप्रार्थीगण को प्रश्नगत आराजी पर मजाहमत व मदाखलत नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री बाबुलाल कासलीवाल अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलायी जाकर प्रार्थना-पत्र बहस में रखा गया। दिना 04.3.20 को बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की सुनी गय और पत्रावली वास्ते आदेश मुकर्रर की गयी।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया तथा गौर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान् पर किया।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र

में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी आराजी 1282 पर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 29.04.2016 से मदाखलत व मजाहमत नही करने हेतु पाबंद कर रखा है जो वर्तमान में भी जारी है। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन तथा अपूरणीय क्षति तीनो शर्तें प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होने से अंतरिम निषेधाज्ञा को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म करमावें

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थीगण के अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि हमने ख० नं० 1282 में प्रवेश नहीं किया। 1282 के ख. नं. 1281 है जो सिवायचक है जिस पर अप्रार्थीगण का बाड़ा बना हुआ है। प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि के पास होने से अवैध अतिक्रमण कर बेदखल करना चाहते है। ख. नं. 1281 रकबा 0.02 से हमे सक्षम ऑथोरिटी ही बेदखल कर सकती है। प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित नहीं होने मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने पुनः निवेदन किया अप्रार्थीगण की हैसियत एक अतिक्रमी की है। एक अतिक्रमी न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नही है काश्तकारी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अंतरिम निषेधाज्ञा को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म फरमाया जावें।

प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर अप्रार्थीगण को दखलअंदाजी करने का कोई अधिकार नही है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में जमाबंदी से एवं अप्रार्थीगण के जवाब से प्रमाणित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 29.04.2016 को जारी अंतरिम

Cont...

अस्थायी निषेधाज्ञा को ता फैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाता है साथ ही अप्रार्थीगण ने ख. नं. 1281 रकबा 0.02 है. पर अतिक्रमी होना अपने जवाब के पैरा 3 में स्वीकार किया है। इस बाबत् भूमिधारी तहसीलदार उनियारा को तहरीर जारी कर निर्देशित किया जाता है मौके की जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को 15 दिवस में अवगत करवाना सुनिश्चित करे।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ लटकी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा